



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 4 परावि/SBM(G)/2018-19/

1728

दिनांक : 2/8/18

निविदा सूचना

विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की आपूर्ति हेतु वित्त (G&T) विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2018 के अन्तर्गत उपापन से संबंधित संस्थाओं/बोली दाताओं/संवेदकों से उपापन की दरे निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

कार्य का नाम	निविदा शुल्क राशि	अनुमानित लागत	प्रतिभूति राशि	निविदा बेचने की अंतिम तिथि	निविदा प्राप्ति की दिनांक व समय
कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की आपूर्ति 1 वर्ष हेतु	500 रु.	7.20 लाख रु.	14400 रु.	17.08.2018	20.08.2018 दोपहर 3.00 बजे तक

प्राप्त निविदाएँ दिनांक 20.08.2018 को दोपहर बाद 4.00 बजे इच्छुक निविदा दाताओं के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा दस्तावेज कार्यालय में शुल्क जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। कार्य संबंधित विवरण <http://www.raipanchayat.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि एवं डाउनलोड करने पर निविदा शुल्क राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के नाम जारी किया हुआ हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का समस्त अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होगा। अन्य शर्तें वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मानी जायेगी।

उपनिदेशक
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.), प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बडौदिया बस्ती, रेल्वे जंक्शन, जयपुर। फोन- 0141 2205802
ईमेल: sbmg2018@gmail.com

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

निविदा प्रपत्र

- कार्य का नाम - कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की आपूर्ति 1 वर्ष हेतु
- निविदा विक्रय मूल्य- 500 रु.
- निविदा का विवरण :-

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज मय मशीन का किराया	कुल राशि (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन व स्केनर, प्रिन्टर, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) योजना में अनुभव एवं आईएमआईएस पर कुशलता से कार्य	06 प्रतिमाह						

- बोली दाता निम्न विवरण मय साक्ष्य (सत्यापित प्रति) अंकित करे

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.पं.रा.वि, राजस्थान फोन- 0141 2204802 ईमेल: sbmg2018@gmail.com

D: Letter and Notesheet 16-17 Sunil Saini letter

1135

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

उक्त नियमों/अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संवेदक का होगा।

- संवेदक द्वारा मजदूरी का भुगतान नियोजित श्रमिकों को अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। जिसका विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।
- यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को **DEBAR** कराने की कार्यवाही करेगी।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, उपनियमों/अधिसूचनाओं एवं दिशा-निर्देशों की पालना सफल निविदादाता द्वारा की जायेगी।
- निविदादाता नये मॉडल की मशीनें सही हालत में आपूर्ति करेगा एवं समय-समय पर इनका रखरखाव/सर्विस का कार्य करेगा। यह मशीन कार्य दिवस में कार्यालय में ही ठीक की जायेगी। अनुपस्थिति एवं मशीन खराब होने पर प्रति दिवस की कटौती की जायेगी।
- निविदा दरों में काट-छांट, ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए।

अधिकृत हस्ताक्षर मय मोहर
निविदादाता

23/